न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपीलवाद सं0 101 आर 15/08–09

एकरामुल हक

बनाम

भुवनेश्वर मुण्डा

6/01/12

आदेश

यह अपीलवाद विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा जमीन वापसी वाद सं0 284/07–08 में पारित आदेश, दिनांक 31.07.2008 के विरूद्ध दायर किया है।

इस वाद में दिनांक 23.11.2011 को दिनांक 09.12.2011 की तिथि सुनवाई हेतु निश्चित किया गया था। दिनांक 09.12.2011 को प्रतिवादी उपस्थित थे परन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहे जिन्हें 21.12.2011 अंतिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 21.12.2011 को भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे फलस्वरूप उन्हें एक और मौका देते हुए निदेश दिया गया कि दिनांक 28.12.2011 अपना लिखित बहस दायर कर सकते है तथा आज आदेश हेतु तिथि निर्धारित की गई थी। अपीलार्थी द्वारा आजतक अपना लिखित बहस दायर नहीं किया। ऐसा प्रतित होता है कि अपीलार्थी के पास अपने दावे के समर्थन में कोई वैध कागजात नहीं है तथा उन्हें इस वाद में अब इन्हें कुछ नहीं कहना है।

अतः उक्त आधार पर अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 6-1-12
अपर समाहर्त्ता
राँची।

(हस्ताक्षर) 6-1-12
अपर समाहर्त्ता
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:28:17 +05:30
Location: 192.168.2.175